-1-

(22)

20 रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

नि/3511/I/15

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक /2015 जिला जबलपुर

श्री .... को द्वारा आज दि. 20-10-15 प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमती अमरवती उर्फ अमरावती
पति श्री बरसाती उर्फ बराती लाल गौड़
निवासी म.नं. 69, मल्था सांगवा
तहसील निवास जिला मंडला

—— आवेदक

विरूद्ध

1- श्री जितेन्द्र कुमार कुशवाहा पिता चन्द्रभान कुशवाहा
निवासी शिव मंदिर के पीछे, सर्रापीपल
नई बस्ती रांझी, जबलपुर

2- म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर

—— अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 42/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 12-10-15 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत निगरानी ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3411-एक/15 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 421/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 12-10-15 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया । कलेक्टर के आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने आदेश में आवेदिका अभिभाषक के प्रकरण खारिज करने के निवेदन का उल्लेख करते हुए प्रकरण खारिज किया है । इस संबंध में आवेदिका का कहना है कि उनके अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण का यथाशीघ्र निर्णय का अनुरोध किया गया था प्रकरण खारिज करने का अनुरोध नहीं किया था । यह भी कहा गया कि उन्होंने स्वयं आवेदन भूमि विक्रय की स्वीकृति हेतु दिया था इसलिए वे प्रकरण को क्यों खारिज कराना चाहेंगे । उनके द्वारा प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार की अपेक्षा गुणदोष पर करने का अनुरोध किया गया है । विचारोपरांत न्यायहित में यह पाता हूँ कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा गुणदोष पर यह तर्क दिया गया कि विक्रय हेतु आवेदित भूमियां आवेदक द्वारा क्रय की गई हैं उक्त भूमियां शासन द्वारा पट्टे पर नहीं दी गई है । तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच उपरांत अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से जिलाध्यक्ष को भेजा गया है जिसमें सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया जाकर	

R 3411-I/15 (जबलपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	छलकपट नहीं हो रहा है उसे गाइड लाइन के हिसाब से उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है । आवेदिका ग्राम मल्धा सांगमा तहसील मंडला जिला मंडला का निवासी है जबकि आवेदित भूमियां जिला जबलपुर में स्थित हैं, इस कारण आवेदित भूमियों की देखरेख में असुविधा होती है ।	
	4/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार को जांच हेतु भेजा । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदनों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदिका ग्राम मल्धा सांगमा तहसील व जिला मंडला की निवासी है । यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदिका द्वारा विक्रय की जा रही भूमियां उसे शासन से पट्टे पर नहीं मिली हैं बल्कि उसके द्वारा क्रय की गई है । विक्रय की जा रही भूमि का उसको पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में उसके साथ कोई छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदिका के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने पर आवेदिका के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । उपरोक्त स्थिति के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-10-15 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदिका को उसके भूमि स्वामित्व की मौजा गजना नं. बं. 612 प. ह. नं. 46/42 रा. नि. मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 182 रकबा 10.330 हैक्टर, खसरा नंबर 173/2 रकबा 3.340 हैक्टर एवं	

श्रीमती अमरावती विरूद्ध जितेन्द्र कुमार आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला - जबलपुर

प्रकरण कमांक निग0 3411-एक/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	खसरा नं. 173/1 रकबा 2.830 हैक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । सदस्य	